



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

पांच II — छाई 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[No. 34] नई दिल्ली, बृहस्पति व्रत 20, 2012/ ज्येष्ठ 30, 1934 (साका)
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012/ JYAISTA 30, 1934 (SAKA)

इस भाग में चिन्ह पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 20th June, 2012/Jyaiṣṭha 30, 1934 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the
19th June, 2012, and is hereby published for general information:—

THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES

ACT, 2012

[No. 32 of 2012]

[19th June, 2012]

An Act to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment and
pornography and provide for establishment of Special Courts for trial of
such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS clause (3) of article 15 of the Constitution, *inter alia*, empowers the State to
make special provisions for children;

AND WHEREAS, the Government of India has acceded on the 11th December, 1992 to the
Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United
Nations, which has prescribed a set of standards to be followed by all State parties in
securing the best interests of the child;

AND WHEREAS it is necessary for the proper development of the child that his or her
right to privacy and confidentiality be protected and respected by every person by all means
and through all stages of a judicial process involving the child;

AND WHEREAS it is imperative that the law operates in a manner that the best interest
and well being of the child are regarded as being of paramount importance at every stage, to
ensure the healthy physical, emotional, intellectual and social development of the child;

AND WHEREAS the State parties to the Convention on the Rights of the Child are
required to undertake all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent—

(a) the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity;

(b) the exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;

(c) the exploitative use of children in pornographic performances and materials;

AND WHEREAS sexual exploitation and sexual abuse of children are heinous crimes and need to be effectively addressed.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

**Short title,
extent and
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(2) It extends to the whole of India, except the State of Jammu and Kashmir.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a) "aggravated penetrative sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 5;

(b) "aggravated sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 9;

(c) "armed forces or security forces" means armed forces of the Union or security forces or police forces, as specified in the Schedule;

(d) "child" means any person below the age of eighteen years;

(e) "domestic relationship" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005;

(f) "penetrative sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 3;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) "religious institution" shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988;

(i) "sexual assault" has the same meaning as assigned to it in section 7;

(j) "sexual harassment" has the same meaning as assigned to it in section 11;

(k) "shared household" means a household where the person charged with the offence lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child;

(l) "Special Court" means a court designated as such under section 28;

(m) "Special Public Prosecutor" means a Public Prosecutor appointed under section 32.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and the Information Technology Act, 2000 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Codes or the Acts.

43 of 2005

41 of 1988

45 of 1860

2 of 1974

56 of 2000

21 of 2000

CHAPTER II

SEXUAL OFFENCES AGAINST CHILDREN

A.—PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

**Penetrative
sexual assault.**

3. A person is said to commit "penetrative sexual assault" if—

(a) he penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person; or

(b) he inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(c) he manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of the child or makes the child to do so with him or any other person; or

(d) he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or any other person.

4. Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

Punishment
for
penetrative
sexual
assault.

B.—AGGRAVATED PENETRATIVE SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

5. (a) Whoever, being a police officer, commits penetrative sexual assault on a child—

(i) within the limits of the police station or premises at which he is appointed; or

(ii) in the premises of any station house, whether or not situated in the police station, to which he is appointed; or

(iii) in the course of his duties or otherwise; or

(iv) where he is known as, or identified as, a police officer; or

(b) whoever being a member of the armed forces or security forces commits penetrative sexual assault on a child—

(i) within the limits of the area to which the person is deployed; or

(ii) in any areas under the command of the forces or armed forces; or

(iii) in the course of his duties or otherwise; or

(iv) where the said person is known or identified as a member of the security or armed forces; or

(c) whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child; or

(d) whoever being on the management or on the staff of a jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force, commits penetrative sexual assault on a child, being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, or other place of custody or care and protection; or

(e) whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits penetrative sexual assault on a child in that hospital; or

(f) whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits penetrative sexual assault on a child in that institution; or

(g) whoever commits gang penetrative sexual assault on a child.

Explanation.—When a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang penetrative sexual assault within the meaning of this clause and each of such person shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or

(h) whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or

(i) whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or

Aggravated
penetrative
sexual
assault.

(j) whoever commits penetrative sexual assault on a child, which—

(i) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (b) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently; or

(ii) in the case of female child, makes the child pregnant as a consequence of sexual assault;

(iii) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks; or

(k) whoever, taking advantage of a child's mental or physical disability, commits penetrative sexual assault on the child; or

(l) whoever commits penetrative sexual assault on the child more than once or repeatedly; or

(m) whoever commits penetrative sexual assault on a child below twelve years; or

(n) whoever being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care or having a domestic relationship with a parent of the child or who is living in the same or shared household with the child, commits penetrative sexual assault on such child; or

(o) whoever being, in the ownership, or management, or staff, of any institution providing services to the child, commits penetrative sexual assault on the child; or

(p) whoever being in a position of trust or authority of a child commits penetrative sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or

(q) whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or

(r) whoever commits penetrative sexual assault on a child and attempts to murder the child; or

(s) whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence; or

(t) whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or

(u) whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public,

is said to commit aggravated penetrative sexual assault.

Punishment
for aggravated
penetrative
sexual assault

6. Whoever, commits aggravated penetrative sexual assault, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine.

C.—SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

Sexual assault

7. Whoever, with sexual intent touches the vagina, penis, anus or breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast of such person or any other person, or does any other act with sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault.

8. Whoever, commits sexual assault, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

Punishment for sexual assault.

D.—AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT AND PUNISHMENT THEREFOR

9. (a) Whoever, being a police officer, commits sexual assault on a child—

- (i) within the limits of the police station or premises where he is appointed, or
- (ii) in the premises of any station house whether or not situated in the police station to which he is appointed, or
- (iii) in the course of his duties or otherwise; or
- (iv) where he is known as, or identified as a police officer; or

(b) whoever, being a member of the armed forces or security forces, commits sexual assault on a child—

- (i) within the limits of the area to which the person is deployed; or
- (ii) in any areas under the command of the security or armed forces; or
- (iii) in the course of his duties or otherwise; or
- (iv) where he is known or identified as a member of the security or armed forces; or

(c) whoever being a public servant commits sexual assault on a child; or

(d) whoever being on the management or on the staff of a jail, or remand home or protection home or observation home, or other place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force commits sexual assault on a child being inmate of such jail or remand home or protection home or observation home or other place of custody or care and protection; or

(e) whoever being on the management or staff of a hospital, whether Government or private, commits sexual assault on a child in that hospital; or

(f) whoever being on the management or staff of an educational institution or religious institution, commits sexual assault on a child in that institution; or

(g) whoever commits gang sexual assault on a child.

Explanation.—when a child is subjected to sexual assault by one or more persons of a group in furtherance of their common intention, each of such persons shall be deemed to have committed gang sexual assault within the meaning of this clause and each of such persons shall be liable for that act in the same manner as if it were done by him alone; or

(h) whoever commits sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance or corrosive substance; or

(i) whoever commits sexual assault causing grievous hurt or causing bodily harm and injury or injury to the sexual organs of the child; or

(j) whoever commits sexual assault on a child, which—

(i) physically incapacitates the child or causes the child to become mentally ill as defined under clause (7) of section 2 of the Mental Health Act, 1987 or causes impairment of any kind so as to render the child unable to perform regular tasks, temporarily or permanently; or

(ii) inflicts the child with Human Immunodeficiency Virus or any other life threatening disease or infection which may either temporarily or permanently impair the child by rendering him physically incapacitated, or mentally ill to perform regular tasks; or

Aggravated sexual assault.

- (k) whoever, taking advantage of a child's mental or physical disability, commits sexual assault on the child; or
 (l) whoever commits sexual assault on the child more than once or repeatedly; or
 (m) whoever commits sexual assault on a child below twelve years; or
 (n) whoever, being a relative of the child through blood or adoption or marriage or guardianship or in foster care, or having domestic relationship with a parent of the child, or who is living in the same or shared household with the child, commits sexual assault on such child; or
 (o) whoever, being in the ownership or management or staff, of any institution providing services to the child, commits sexual assault on the child in such institution; or
 (p) whoever, being in a position of trust or authority of a child, commits sexual assault on the child in an institution or home of the child or anywhere else; or
 (q) whoever commits sexual assault on a child knowing the child is pregnant; or
 (r) whoever commits sexual assault on a child and attempts to murder the child; or
 (s) whoever commits sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence; or
 (t) whoever commits sexual assault on a child and who has been previously convicted of having committed any offence under this Act or any sexual offence punishable under any other law for the time being in force; or
 (u) whoever commits sexual assault on a child and makes the child to strip or parade naked in public,
 is said to commit aggravated sexual assault.

10. Whoever, commits aggravated sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

E.—SEXUAL HARASSMENT AND PUNISHMENT THEREFOR

11. A person is said to commit sexual harassment upon a child when such person with sexual intent,—

- (i) utters any word or makes any sound, or makes any gesture or exhibits any object or part of body with the intention that such word or sound shall be heard, or such gesture or object or part of body shall be seen by the child; or
- (ii) makes a child exhibit his body or any part of his body so as it is seen by such person or any other person;
- (iii) shows any object to a child in any form or media for pornographic purposes; or
- (iv) repeatedly or constantly follows or watches or contacts a child either directly or through electronic, digital or any other means;
- (v) threatens to use, in any form of media, a real or fabricated depiction through electronic, film or digital or any other mode, of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act; or
- (vi) entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefor.

Explanation—Any question which involves "sexual intent" shall be a question of fact.

12. Whoever, commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

CHAPTER III

USING CHILD FOR PORNOGRAPHIC PURPOSES AND PUNISHMENT THEREFOR

13. Whoever, uses a child in any form of media (including programme or advertisement telecast by television channels or internet or any other electronic form or printed form, whether or not such programme or advertisement is intended for personal use or for distribution), for the purposes of sexual gratification, which includes—

- (a) representation of the sexual organs of a child;
- (b) usage of a child engaged in real or simulated sexual acts (with or without penetration);
- (c) the indecent or obscene representation of a child,

shall be guilty of the offence of using a child for pornographic purposes.

Punishment
for aggravated
sexual assault

Sexual
harassment

Punishment
for sexual
harassment

Use of child for
pornographic
purposes

*Explanation.—*For the purposes of this section, the expression "use a child" shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material.

14. (1) Whoever, uses a child or children for pornographic purposes shall be punished with imprisonment of either description which may extend to five years and shall also be liable to fine and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and also be liable to fine.

(2) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 3, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(3) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 5, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with rigorous imprisonment for life and shall also be liable to fine.

(4) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 7, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than six years but which may extend to eight years, and shall also be liable to fine.

(5) If the person using the child for pornographic purposes commits an offence referred to in section 9, by directly participating in pornographic acts, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than eight years but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

15. Any person, who stores, for commercial purposes any pornographic material in any form involving a child shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or with both.

CHAPTER IV

ABETMENT OF AND ATTEMPT TO COMMIT AN OFFENCE

16. A person abets an offence, who—

First.— Instigates any person to do that offence; or

Secondly.— Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that offence, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that offence; or

Thirdly.—Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that offence.

Explanation I.—A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact, which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure a thing to be done, is said to instigate the doing of that offence.

Explanation II.—Whoever, either prior to or at the time of commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.

Explanation III.—Whoever employ, harbours, receives or transports a child, by means of threat or use of force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or of a position, vulnerability or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of any offence under this Act, is said to aid the doing of that act.

17. Whoever abets any offence under this Act, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punished with punishment provided for that offence.

Explanation.—An act or offence is said to be committed in consequence of abetment, when it is committed in consequence of the instigation, or in pursuance of the conspiracy or with the aid, which constitutes the abetment.

18. Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or to cause such an offence to be committed, and in such attempt, does any act towards the commission of the offence, shall be punished with imprisonment of any description provided for the

Punishment for using child for pornographic purposes.

Punishment for storage of pornographic material involving child.

Abetment of an offence.

Punishment for abetment.

Punishment for attempt to commit an offence.

offence, for a term which may extend to one-half of the imprisonment for life or, as the case may be, one-half of the longest term of imprisonment provided for that offence or with fine or with both.

CHAPTER V

PROCEDURE FOR REPORTING OF CASES

Reporting of offences

2 of 1974

19. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any person (including the child), who has apprehension that an offence under this Act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to,—

- (a) the Special Juvenile Police Unit, or
- (b) the local police.

(2) Every report given under sub-section (1) shall be—

- (a) ascribed an entry number and recorded in writing;
- (b) be read over to the informant;
- (c) shall be entered in a book to be kept by the Police Unit.

(3) Where the report under sub-section (1) is given by a child, the same shall be recorded under sub-section (2) in a simple language so that the child understands contents being recorded.

(4) In case contents are being recorded in the language not understood by the child or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and or payment of such fees as may be prescribed, shall be provided to the child if he fails to understand the same.

(5) Where the Special Juvenile Police Unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then, it shall, after recording the reasons in writing, make immediate arrangement to give him such care and protection (including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital) within twenty-four hours of the report, as may be prescribed.

(6) The Special Juvenile Police Unit or local police shall, without unnecessary delay but within a period of twenty-four hours, report the matter to the Child Welfare Committee and the Special Court or where no Special Court has been designated, to the Court of Session, including need of the child for care and protection and steps taken in this regard.

(7) No person shall incur any liability, whether civil or criminal, for giving the information in good faith for the purpose of sub-section (1).

20. Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities, by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall, on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child (including pornographic, sexually-related or making obscene representation of a child or children) through the use of any medium, shall provide such information to the Special Juvenile Police Unit, or to the local police, as the case may be.

21. (1) Any person, who fails to report the commission of an offence under sub-section (1) of section 19 or section 20 or who fails to record such offence under sub-section (2) of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to six months or with fine or with both.

(2) Any person, being in-charge of any company or an institution (by whatever name called) who fails to report the commission of an offence under sub-section (1) of section 19 in respect of a subordinate under his control, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine.

(3) The provisions of sub-section (1) shall not apply to a child under this Act.

22. (1) Any person, who makes false complaint or provides false information against any person, in respect of an offence committed under sections 3, 5, 7 and section 9, solely with the intention to humiliate, extort or threaten or defame him, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(2) Where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child.

(3) Whoever, not being a child, makes a false complaint or provides false information against a child, knowing it to be false, thereby victimising such child in any of the offences under this Act, shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine or with both.

Obligation of media, studio and photographic facilities to report cases

Punishment for failure to report or record a case

Punishment for false complaint or false information

23. (1) No person shall make any report or present comments on any child from any form of media or studio or photographic facilities without having complete and authentic information, which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy.

Procedure for media.

(2) No reports in any media shall disclose, the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighbourhood or any other particulars which may lead to disclosure of identity of the child:

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court, competent to try the case under the Act, may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

(3) The publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the acts and omissions of his employee.

(4) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine or with both.

CHAPTER VI

PROCEDURES FOR RECORDING STATEMENT OF THE CHILD

24. (1) The statement of the child shall be recorded at the residence of the child or at a place where he usually resides or at the place of his choice and as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub-inspector.

Recording of statement of a child.

(2) The police officer while recording the statement of the child shall not be in uniform.

(3) The police officer making the investigation, shall, while examining the child, ensure that at no point of time the child come in the contact in any way with the accused.

(4) No child shall be detained in the police station in the night for any reason.

(5) The police officer shall ensure that the identity of the child is protected from the public media, unless otherwise directed by the Special Court in the interest of the child.

2 of 1974.

25. (1) If the statement of the child is being recorded under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (herein referred to as the Code), the Magistrate recording such statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child:

Recording of statement of a child by Magistrate.

Provided that the provisions contained in the first proviso to sub-section (1) of section 164 of the Code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case.

(2) The Magistrate shall provide to the child and his parents or his representative, a copy of the document specified under section 207 of the Code, upon the final report being filed by the police under section 173 of that Code.

26. (1) The Magistrate or the police officer, as the case may be, shall record the statement as spoken by the child in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence.

Additional provisions regarding statement to be recorded.

(2) Wherever necessary, the Magistrate or the police officer, as the case may be, may take the assistance of a translator or an interpreter, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the statement of the child.

(3) The Magistrate or the police officer, as the case may be, may, in the case of a child having a mental or physical disability, seek the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, to record the statement of the child.

(4) Wherever possible, the Magistrate or the police officer, as the case may be, shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio-video electronic means.

Medical examination of a child

27. (1) The medical examination of a child in respect of whom any offence has been committed under this Act, shall, notwithstanding that a First Information Report or complaint has not been registered for the offences under this Act, be conducted in accordance with section 164A of the Code of Criminal Procedure, 1973.

2 of 1974

(2) In case the victim is a girl child, the medical examination shall be conducted by a woman doctor.

(3) The medical examination shall be conducted in the presence of the parent of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence.

(4) Where, in case the parent of the child or other person referred to in sub-section (3) cannot be present, for any reason, during the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution.

CHAPTER VII

SPECIAL COURTS

Designation of Special Courts.

28. (1) For the purposes of providing a speedy trial, the State Government shall in consultation with the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, designate for each district, a Court of Session to be a Special Court to try the offences under the Act:

4 of 2006

Provided that if a Court of Session is notified as a children's court under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 or a Special Court designated for similar purposes under any other law for the time being in force, then, such court shall be deemed to be a Special Court under this section.

2 of 1974.

(2) While trying an offence under this Act, a Special Court shall also try an offence [other than the offence referred to in sub-section (1)], with which the accused may, under the Code of Criminal Procedure, 1973, be charged at the same trial.

21 of 2000.

(3) The Special Court constituted under this Act, notwithstanding anything in the Information Technology Act, 2000, shall have jurisdiction to try offences under section 67B of that Act in so far as it relates to publication or transmission of sexually explicit material depicting children in any act, or conduct or manner or facilitates abuse of children online.

Presumption as to certain offences.

29. Where a person is prosecuted for committing or abetting or attempting to commit any offence under sections 3, 5, 7 and section 9 of this Act, the Special Court shall presume, that such person has committed or abetted or attempted to commit the offence, as the case may be unless the contrary is proved.

Presumption of culpable mental state

30. (1) In any prosecution for any offence under this Act which requires a culpable mental state on the part of the accused, the Special Court shall presume the existence of such mental state but it shall be a defence for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offence in that prosecution.

(2) For the purposes of this section, a fact is said to be proved only when the Special Court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability.

Explanation—In this section, "culpable mental state" includes intention, motive, knowledge of a fact and the belief in, or reason to believe, a fact.

Application of Code of Criminal Procedure, 1973 to proceedings before a Special Court.

31. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (including the provisions as to bail and bonds) shall apply to the proceedings before a Special Court and for the purposes of the said provisions, the Special Court shall be deemed to be a Court of Sessions and the person conducting a prosecution before a Special Court, shall be deemed to be a Public Prosecutor.

2 of 1974.

32. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Special Public Prosecutor for every Special Court for conducting cases only under the provisions of this Act.

Special Public
Prosecutors

(2) A person shall be eligible to be appointed as a Special Public Prosecutor under sub-section (1) only if he had been in practice for not less than seven years as an advocate.

(3) Every person appointed as a Special Public Prosecutor under this section shall be deemed to be a Public Prosecutor within the meaning of clause (a) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and provision of that Code shall have effect accordingly.

2 of 1974.

CHAPTER VIII

PROCEDURE AND POWERS OF SPECIAL COURTS AND RECORDING OF EVIDENCE

33. (1) A Special Court may take cognizance of any offence, without the accused being committed to it for trial, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, or upon a police report of such facts.

Procedure and
powers of
Special Court

(2) The Special Public Prosecutor, or as the case may be, the counsel appearing for the accused shall, while recording the examination-in-chief, cross-examination or re-examination of the child, communicate the questions to be put to the child to the Special Court which shall in turn put those questions to the child.

(3) The Special Court may, if it considers necessary, permit frequent breaks for the child during the trial.

(4) The Special Court shall create a child-friendly atmosphere by allowing a family member, a guardian, a friend or a relative, in whom the child has trust or confidence, to be present in the court.

(5) The Special Court shall ensure that the child is not called repeatedly to testify in the court.

(6) The Special Court shall not permit aggressive questioning or character assassination of the child and ensure that dignity of the child is maintained at all times during the trial.

(7) The Special Court shall ensure that the identity of the child is not disclosed at any time during the course of investigation or trial:

Provided that for reasons to be recorded in writing, the Special Court may permit such disclosure, if in its opinion such disclosure is in the interest of the child.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the identity of the child shall include the identity of the child's family, school, relatives, neighbourhood or any other information by which the identity of the child may be revealed.

(8) In appropriate cases, the Special Court may, in addition to the punishment, direct payment of such compensation as may be prescribed to the child for any physical or mental trauma caused to him or for immediate rehabilitation of such child.

(9) Subject to the provisions of this Act, a Special Court shall, for the purpose of the trial of any offence under this Act, have all the powers of a Court of Session and shall try such offence as if it were a Court of Session, and as far as may be, in accordance with the procedure specified in the Code of Criminal Procedure, 1973 for trial before a Court of Session.

2 of 1974.

34. (1) Where any offence under this Act is committed by a child, such child shall be dealt with under the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

(2) If any question arises in any proceeding before the Special Court whether a person is a child or not, such question shall be determined by the Special Court after satisfying itself about the age of such person and it shall record in writing its reasons for such determination.

Procedure in
case of
offence by
child and
determination
of age by
Special Court

56 of 2000.

(3) No order made by the Special Court shall be deemed to be invalid merely by any subsequent proof that the age of a person as determined by it under sub-section (2) was not the correct age of that person.

Period for recording of evidence of child and disposal of case

35. (1) The evidence of the child shall be recorded within a period of thirty days of the Special Court taking cognizance of the offence and reasons for delay, if any, shall be recorded by the Special Court.

(2) The Special Court shall complete the trial, as far as possible, within a period of one year from the date of taking cognizance of the offence.

Child not to see accused at the time of testifying

36. (1) The Special Court shall ensure that the child is not exposed in any way to the accused at the time of recording of the evidence, while at the same time ensuring that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with his advocate.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Special Court may record the statement of a child through video conferencing or by utilising single visibility mirrors or curtains or any other device.

Trials to be conducted *in camera*

37. The Special Court shall try cases *in camera* and in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence:

Provided that where the Special Court is of the opinion that the child needs to be examined at a place other than the court, it shall proceed to issue a commission in accordance with the provisions of section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

2 of 1974

Assistance of an interpreter or expert while recording evidence of child

38. (1) Wherever necessary, the Court may take the assistance of a translator or interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed, while recording the evidence of the child.

(2) If a child has a mental or physical disability, the Special Court may take the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the evidence of the child.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

Guidelines for child to take assistance of experts, etc.

39. Subject to such rules as may be made in this behalf, the State Government shall prepare guidelines for use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre-trial and trial stage to assist the child.

Right of child to take assistance of legal practitioner

40. Subject to the proviso to section 301 of the Code of Criminal Procedure, 1973 the family or the guardian of the child shall be entitled to the assistance of a legal counsel of their choice for any offence under this Act:

Provided that if the family or the guardian of the child are unable to afford a legal counsel, the Legal Services Authority shall provide a lawyer to them.

2 of 1974

Provisions of sections 3 to 13 not to apply in certain cases.

41. The provisions of sections 3 to 13 (both inclusive) shall not apply in case of medical examination or medical treatment of a child when such medical examination or medical treatment is undertaken with the consent of his parents or guardian.

Alternative punishment

42. Where an act or omission constitute an offence punishable under this Act and also under any other law for the time being in force, then notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment only under such law or this Act as provides for punishment which is greater in degree.

43. The Central Government and every State Government, shall take all measures to ensure that—

(a) the provisions of this Act are given wide publicity through media including the television, radio and the print media at regular intervals to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of this Act;

(b) the officers of the Central Government and the State Governments and other concerned persons (including the police officers) are imparted periodic training on the matters relating to the implementation of the provisions of the Act.

44. (1) The National Commission for Protection of Child Rights constituted under section 3, or as the case may be, the State Commission for Protection of Child Rights constituted under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, shall, in addition to the functions assigned to them under that Act, also monitor the implementation of the provisions of this Act in such manner as may be prescribed.

(2) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub-section (1), shall, while inquiring into any matter relating to any offence under this Act, have the same powers as are vested in it under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

4 of 2006.

4 of 2006.

4 of 2006.

Public awareness about Act

Monitoring of implementation of Act

(3) The National Commission or, as the case may be, the State Commission, referred to in sub-section (1), shall, also include, its activities under this section, in the annual report referred to in section 16 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

45. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the qualifications and experience of, and the fees payable to, a translator or an interpreter, a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field, under sub-section (4) of section 19; sub-sections (2) and (3) of section 26 and section 38;

(b) care and protection and emergency medical treatment of the child under sub-section (5) of section 19;

(c) the payment of compensation under sub-section (8) of section 33;

(d) the manner of periodic monitoring of the provisions of the Act under sub-section (1) of section 44.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

46. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

Power to make rules

Power to remove difficulties

THE SCHEDULE

[See section 2(c)]

ARMED FORCES AND SECURITY FORCES CONSTITUTED UNDER

- (a) The Air Force Act, 1950 (45 of 1950);
- (b) The Army Act, 1950 (46 of 1950);
- (c) The Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006);
- (d) The Bombay Home Guard Act, 1947 (3 of 1947);
- (e) The Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968);
- (f) The Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968);
- (g) The Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949);
- (h) The Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978);
- (i) The Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946);
- (j) The Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992);
- (k) The Navy Act, 1957 (62 of 1957);
- (l) The National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008);
- (m) The National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986);
- (n) The Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957);
- (o) The Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007);
- (p) The Special Protection Group Act, 1988 (34 of 1988);
- (q) The Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948);
- (r) The State police forces (including armed constabulary) constituted under the State laws to aid the civil powers of the State and empowered to employ force during internal disturbances or otherwise including armed forces as defined in clause (a) of section 2 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958).

V. K. BHASIN,
Secretary to the Govt. of India.

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 32)

[19 जून, 2012]

लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अरलील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए,

विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या

आनुसंधिक विधयों के लिए उपचेतन

करने के लिए

अधिनियम

संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड (3), अन्य वालों के साथ राज्य को बालकों के लिए विशेष उपचेतन करने के लिए शक्ति दिता है;

संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम दिती को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य प्रशंसकों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, भारत सरकार ने सारीख 11 दिसंबर, 1992 को अंगीकृत किया है;

बालक के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी निजता और गोपीयता के अधिकार का सभी प्रकार से तथा भालकों को अंतर्भूति करने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रकारों के माध्यम से संरक्षित और समर्पित किया जाए;

यह अनिवार्य है कि विधि ऐसी रीति से प्रवर्तित हो कि बालक के अल्ले शारीरिक, भवानाम, चौदृढ़ और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रक्रम पर बालक के सर्वोत्तम हित और कल्याण पर सर्वोपरि महत्व के रूप में व्याख्या दिया जाए;

बालक के अधिकारों से संबंधित अधिनियम के राज्य पालकार्यों से निम्नलिखित का निवारण करने के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय करना अनिवार्य है,—

(क) किसी विधिविरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित प्रोटोकॉल करना;

(ख) वेश्यावृत्ति या अन्य विधिविरुद्ध लैंगिक व्यवसायों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

(ग) अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना;

बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग जघन्य अपराध हैं, और उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

भारत गणराज्य के तिरसठवं वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तृत
और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संयुक्त भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, गजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिचालन।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संरक्षण से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुल्तार प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो भारा 5 में है;

(ख) "मुल्तार लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो भारा 9 में है;

(ग) "सरास्त बल या सुरक्षा बल" से संघ के सरास्त बल या अनुसूची में व्याख्यानिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अधिष्ठित है;

(घ) "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अधिष्ठित है जिसकी आयु अतारह वर्ष से कम है;

(ङ) "भेरेलू संबंध" का वह अर्थ होगा जो भेरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की भारा 2 के खण्ड (च) में है;

(च) "प्रवेशन लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो भारा 3 में है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अधिष्ठित है;

(ज) "धार्मिक रांथा" का वह अर्थ होगा जो धार्मिक गंस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 में है;

(झ) "लैंगिक हमला" का वही अर्थ है जो भारा 7 में है;

(ञ) "लैंगिक उत्पीड़न" का वही अर्थ है जो भारा 11 में है;

1860 का 45
1974 का 2
2000 का 56
2000 का 21

(२) "साझे गुहस्ती" से ऐसी गुहस्ती अधिष्ठेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू जातेदारी में रहता है या किसी रामाय पर रह चुका है;

(३) "विशेष न्यायालय" से भाग 28 के अधीन उस रूप में अधिहित कोई न्यायालय अधिष्ठेत है;

(४) "विशेष लोक अधियोजक" से भाग 32 के अधीन नियुक्त कोई अधियोजक अधिष्ठेत है।

(५) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 और यूनान प्रोटोकॉली अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगे जो उक्त संहिताओं या अधिनियमों में है।

अध्याय 2

बालकों के विशुद्ध लैंगिक अपराध

क.—प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

3. कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यदि यह —

प्रवेशन लैंगिक हमला।

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मूँह, मूत्रार्था या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रार्था या गुदा में चुपेड़ा है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक को योनि, मूत्रार्था या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) किसी वस्तु के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रार्था पर अपना मुँह लगाता है या ऐसी व्यक्ति या

4. जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधिपत्र साथ वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकती, दंडित किया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड।

क.—गुलर प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

5. (क) जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

गुलर प्रवेशन लैंगिक हमला।

(i) पुलिस याने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी याने के परिसरों में, जहां उस पुलिस याने में अवस्थित है या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में जात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई सामर्थ बल या सुरक्षा बल का सदर्य होते हुए बालक पर,—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या

(ii) बदलों या सहास्त्र बलों की कमान के अधीन किन्तु होती हैं; या

(iii) आने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहाँ उक्त व्यक्ति, सुखा या सहास्त्र बलों के सदृश के रूप में जात है या उसकी पदचान को गई हो;

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई किसी जेल, प्रतिषेध गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या तात्पर्य प्रवृत्ति किसी विधि द्वारा या उससे अधीन स्थापित अधिकारा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिण्डु ऐसे जेल, प्रतिषेध गृह, संप्रेक्षण गृह या अधिकारा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रहे हों किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिण्डु होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या भारीक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिण्डु होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

सार्वजनिक —जहाँ किसी बालक पर, किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके सामान्य आवाय के असर करने में लैंगिक हमला किया गया है यहाँ ऐसे प्रवेक्ष व्यक्ति द्वारा इस तंत्रे के अधीनीत सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाना समझा जाएगा और ऐसा प्रवेक्ष व्यक्ति उस कृत्य के लिए ऐसी ही शैक्षि की दृष्टि होगा माना जाएगा उसके द्वारा किया गया था; या

(ज) जो कोई, किसी बालक पर घातक आयुध, आन्यायुध, गर्म पदार्थ या संचारक पदार्थ का प्रयोग करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी बालक को भी भूलति कराते हुए या शारीरिक रूप से तुकसान और शृंति करते हुए, या उसके/उसकी जननीदियों को खत्ति करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है जिससे,—

(i) बालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या बालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के छंड (ख) के अधीन यथापरिभाषित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार को ऐसा हूस कराति करता है जिससे बालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असीर्य हो जाता है; या

(ii) बालक, मानस प्रतिरोधात्मक विवाद्य या किसी ऐसे अन्य प्राणधातक रोग या

संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो बालक को शारीरिक रूप से असीर्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से असीर्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से हूस कर सकता; या

(ट) जो कोई, बालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ঠ) जो कोई, बालु वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ঢ) जो कोई, बालक का संस्कार या दातक या विलाह या संरक्षकता द्वारा या पोषण देवधात करने वाला गतिशील या बालक को गाता है जिसके साथ घोट्य संबंध रखते हुए या जो बालक के भाव साझी मृत्युस्थी में रहता है, ऐसे बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(c) जो कोई, बालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारी होते हुए बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(d) जो कोई, किसी बालक के न्यासी या प्राभिकारी के पद पर होते हुए बालक की किसी संस्था या गृह या कहीं और, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(e) जो कोई, यदि जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(f) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक की हृत्य करने का प्रयत्न करता है; या

(g) जो कोई, सामूदायिक या पंथिक हिंसा के दौरान बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(h) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और जो भूर्ख में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के लिए या तात्पर्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषीत्वादित किया गया है; या

(i) जो कोई, बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवरन करता है या नन कफे प्रदर्शन करता है,

वह गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

6. जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारणास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारणास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुनाने से भी दंडनीय होगा।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के लिए दंड।

ग.—लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

7. जो कोई, लैंगिक आत्म से साकार की योग्यि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योग्यि, लिंग, गुदा या स्तन को स्पर्श करता है या लैंगिक आत्म से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्द्रिष्ट होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

लैंगिक हमला।

8. जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारणास से जिसकी अवधि सीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो यांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुनाने से भी दंडनीय होगा।

लैंगिक हमले के लिए दंड।

घ.—गुरुतर लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

9. (क) जो कोई, गुरुतर अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर—

गुरुतर लैंगिक हमला।

(i) पुलिस घाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है; या

(ii) किसी घाने के परिसरों में चाहे उस पुलिस घाने में अवशित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में जात हो या उसकी पहचान की गई हो,

प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई, सशात्र वर्त या सुरक्षा बल का उद्देश्य होते हुए बालक पर—

(i) ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति जैगता है; या

(ii) सुरक्षा या सशात्र बलों की कमान के अधीन किन्तु क्षेत्रों में; या

(iii) अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या

(iv) जहां बह, सुरक्षा या संसाक्षण बलों के सदस्य के रूप में जात हो या उसकी पहचान की गई हो,

लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई, किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(घ) जो कोई, किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या तत्त्वज्ञ प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन स्थापित अधिकारी या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिण्य द्वारा होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या अधिकारी या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है;

(ङ) जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंध या कर्मचारिण्य द्वारा होते हुए उस अस्पताल में किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है;

(च) जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध तंत्र या कर्मचारिण्य द्वारा होते हुए उस संस्था में किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(छ) जो कोई, भालक पर सामृद्धिक लैंगिक हमला करता है।

सम्पूर्णरूप—जहाँ किसी भालक पर, किसी समृद्ध के एक या अधिक व्यक्तियों द्वाय उनके सामान्य आशय का असर करते हुए लैंगिक हमला किया गया है यहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस खंड के अधीतीर्णी सामृद्धिक लैंगिक हमला किया जाना सामाजिक जागरूकी और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए वैसी ही रीति से दृष्टी होगा मानी गई उनके द्वारा किया गया था; या

(ज) जो कोई, भालक पर घायल अवृद्ध, अग्न्यायुध, गर्व पदार्थ या संरक्षण पदार्थ का प्रयोग करते हुए लैंगिक हमला करता है; या

(झ) जो कोई, किसी भालक को घोर उपहारि कराते हुए या शारीरिक रूप से ऊकसान और शति करते हुए या उसकी/उसकी जननेंद्रियों को शति करते हुए लैंगिक हमला करता है; या

(ञ) जो कोई, किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है जिससे—

(i) भालक शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता है या भालक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की घारा 2 के खंड (३) के अधीन यथाधीशित मानसिक रूप से रोगी हो जाता है या किसी प्रकार का ऐसा द्वय कार्रवाई करता है जिससे भालक अस्थायी या स्थायी रूप से नियमित कार्य करने में असीम्य हो जाता है; या

(ii) भालक, मानव प्रतिरक्षाहास विवाह या किसी ऐसे अन्य प्राणीताक रोग या संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है जो भालक को शारीरिक रूप से अदोष्य, या नियमित कार्य करने में मानसिक रूप से अदोष्य करके अस्थायी या स्थायी रूप से द्वय कर सकेगा; या

(ट) जो कोई, भालक की मानसिक और शारीरिक अशक्तता का लाभ उठाते हुए भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ठ) जो कोई, भालक पर एक से अधिक बार या बार-बार लैंगिक हमला करता है; या

(ड) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु के किसी भालक पर लैंगिक हमला करता है;

(ढ) जो कोई, भालक का रक्त या दस्तक या विवाह या संरक्षकता द्वाया या पोषण देखभाल करने वाला नवीनतारीय भालक के गत्ता-निता के साथ भौतिक संवेदन होते हुए या जो भालक के साथ साझी गृहस्थी में रहता है, ऐसे भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(ण) जो कोई, भालक को सेवा प्रदान करने वाली किसी संस्था का स्वामी या प्रबंध या कर्मचारिण्य द्वारा होते हुए भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(त) जो कोई किसी भालक के न्यायी या प्राधिकारी के पद पर होते हुए, भालक की किसी संस्था या गृह में या कहीं और, भालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(६) जो कोई, वह जानते हुए कि बालक गर्भ से है, बालक पर लैंगिक हमला करता है; या

(८) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक की हत्या करने का प्रयत्न करता है; या

(९) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और जो पूर्ण में इस अधिनियम के

अधीन कोई अपराध करने के लिए या तत्सम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई लैंगिक अपराध किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(१०) जो कोई, बालक पर लैंगिक हमला करता है और बालक को सार्वजनिक रूप से विवरण करता है या नान करके प्रदर्शन करता है,

वह गुलार लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।

10. जो कोई, गुलार लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुगनि से भी दंडनीय होगा।

ठ.—लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

11. कोई अविकृत, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यह कहा जाता है जब ऐसा अविकृत लैंगिक उत्पीड़न से—

(i) कोई जन्म कहता है या कोई अधिनि या अंगविशेष करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा जन्म या अधिनि सुनी जाएगी या ऐसा अंग विशेष या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या

(ii) किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करता है जिससे उसको ऐसे अविकृत या किसी अन्य अविकृत द्वारा देखा जा सके;

(iii) अस्तीति प्रयोजनों के लिए किसी प्रलृप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या

(iv) बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से चार-चार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क करता है; या

(v) बालक के शरीर के किसी भाग या लैंगिक वृक्ष में बालक को अंगरेजी होने का, इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या अंकीय या किसी अन्य पदार्थ के माध्यम से वास्तविक या गड़े गए चित्रण को मीडिया के किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है; या

(vi) अस्तीति प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलौभन देता है या उसके लिए परिवेषण देता है।

स्पष्टीकरण —कोई प्रश्न, जिसां “लैंगिक आशय” अंतर्विलत है, तथ्य का प्रश्न होगा।

12. जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुगनि से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3

अस्तीति प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड

13. जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन जैनलों या इंटरेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रलृप या यूट्यूब प्रलृप द्वारा प्रारंभित कार्यक्रम या विज्ञापन जाहे ऐसे कार्यक्रम का विज्ञापन का आवाय अविकृत उपयोग करता है, जिसमें नियांविलत रखा गया है) किसी प्रलृप में ऐसे लैंगिक परिवेषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें नियांविलत रखा गया है।

(क) किसी बालक की जननैदियों का प्रतिदर्शन करता;

युवत लैंगिक हमले के लिए दंड।

लैंगिक उत्पीड़न।

लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।

अस्तीति प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग।

(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;

(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना,

वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “किसी बालक का डायोग” पद, मैं अश्लील सामग्री की तैयार, उत्पादन, प्रत्यापन, पोषण, प्रबन्धन सुकृत और वितरण करने के लिए मुख्य, इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीकी से किसी बालक को अंतर्व्यक्ति दर्शन करना है।

अश्लील प्रयोजनों के द्वारा बालक के उपयोग के लिए बालक का उपयोग करना।

14. (1) कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि कारबास से जिसकी अवधि चालने वाले बालकों को ही सकेगी, दिङ्डिकिया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

(2) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 3 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि दूसरे वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारबास तक की ही सकेगी, दिङ्डिकिया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

(3) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 5 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की ही सकेगी, दिङ्डिकिया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

(4) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 7 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि छह वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आठ वर्ष तक की ही सकेगी, दिङ्डिकिया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के खेड़ाकरण के लिए दंड।

(5) यदि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करने वाला व्यक्ति धारा 9 में निर्दिष्ट किसी अपराध को, अश्लील कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर करेगा, वह किसी भाँति के कारबास से जिसकी अवधि आठ वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की ही सकेगी, दिङ्डिकिया जाएगा और जुमने से भी दंडनीय होगा।

15. कोई व्यक्ति जो वापिस्त्रिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में खेड़ाकरण करेगा, वह किसी भाँति के कारबास से सकेगा या जुमने से या दोनों से दिङ्डिकिया जाएगा।

अध्याय 4

किसी अपराध का दुष्येण और उसको करने का प्रयत्न

किसी अपराध का दुष्येण।

16. कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जाने का दुष्येण करता है, जो—

पहला—उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उक्फनाता है; अथवा

दूसरा—उस अपराध को करने के लिए किसी घटनात्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस घटनात्र के अनुसरण में, और उस अपराध को करने के द्वारा से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

तीसरा—उस अपराध के लिए किसी जाने में किसी कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए; अथवा

राष्ट्रव्यक्तिगत 1—कोई व्यक्ति जो जानकारी दुर्लभप्राप्त द्वारा या वापिस्त्रिक द्वारा, या प्रकट करने के लिए वह आवद्ध है, जानकारी द्वारा, स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना कानून या उपाय करता है, अथवा कानून या उपाय करने का प्रयत्न करता है, वह उस अपराध का किया जाना उक्फनाता है, यह कहा जाता है।

स्थानीकरण 2—जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने को लिए कोई कार्य करता है और तद्दाहुत उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के कारण में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

स्थानीकरण 3—जो कोई किसी व्यालक को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के प्रयोगन के लिए भागी या बल प्रयोग या प्रपीड़न के अन्य रूप, अद्वारण, काप, प्रवृचना, शांका या विद्युत के दुरुपयोग, भैशता या संदार्भों को देने या प्राप्त करने या अन्य व्यक्ति पर निर्विवरण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए काफ़ारों के माध्यम से नियोजित करता है, आश्रय देता है या उसे प्राप्त या परिवर्तित करता है, उस कार्य के कारण में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

17. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्येत्रण करता है, यदि दुष्येत्रण कार्य दुष्येत्रण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दीर्घित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबोधित करता है।

स्थानीकरण —कोई कार्य या अपराध दुष्येत्रण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उक्साहट के परिणामस्वरूप या उस बहुतंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्येत्रण गविष्ठ होता है।

18. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रबल करेगा या किसी अपराध को करवाया और ऐसे प्रवास में अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा वह अपराध के लिए उपबोधित किसी भांगिए के ऐसे कारणास से, यथास्थिति, जिसकी अवधि आजीवन कारणास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उत्तर्वित कारणास से किसकी अवधि दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकती या जुमानी से दौरानी से दंडनीय होगा।

अध्याय 5

मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया

1974 का 2

19. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी चात को होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत वालक भी है) किसी बात आंकड़ा को दिए अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या वह जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है, वह निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा—

किसी अपराध को करने के लिए दंड।
अपराधों की रिपोर्ट
करका।

(क) विशेष किशोर पुलिस यूनिट; या

(ख) स्थानीय पुलिस।

(2) उपभारा (1) के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में—

(क) एक प्रविन्दि संख्या अंकित होगी और लेखवद्द की जाएगी;

(ख) सूचना देने वाले को पङ्कर सुनाई जाएगी;

(ग) पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली पुरितका में प्रविष्ट की जाएगी।

(3) जहाँ उपभारा (1) के अधीन रिपोर्ट वालक हारा दी गई है, उसे उपभारा (2) के अधीन रात भारा में अधिनियम किया जाएगा। जिससे वालक की अधिनियमतुओं को समझ सके।

(4) यदि व्यालक द्वारा नहीं समझी जाने वाली भाषा में अंतर्वस्तु अधिनियम की जा रही है या व्यालक यदि वह उसको समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या कोई दुमाचित या ऐसी आईताएं, अनुवाद रखता हो और ऐसी फौस के संदर्भ पर जो विनियत की जाए, जब कभी आवश्यक समझा जाए, उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब

रिपोर्टके चौबीस पट्टे के भीतर कारणों को लेखबद्द करने के पश्चात् उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में (जिसके अंतर्गत बालक को संरक्षण गृह या निकटतम अस्ताल में भर्ती किया जाना भी है) रखने की तुलन अवक्षय करेगी।

(6) विशेष किसी पुलिस बूलिया या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किन्तु चौबीस पट्टे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहाँ कोई विशेष न्यायालय पदाधिकारी नहीं किया गया है वहाँ संवादात्मक को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक को देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उत्तर भी है।

(7) उपरात (1) के प्रयोग के लिए सद्भावपूर्वक दी गई जानकारी के लिए किसी व्यक्ति हाया सिविल या दीड़िक द्वारा दिया उपरात नहीं होगा।

मामले को रिपोर्ट करने के लिए भीड़िया, दृष्टिकोण और फोटो विचार सुधारात्मकों को बालक।

मामले को रिपोर्ट करने या अधिनियमित करने में विवर यहाँ के लिए देख।

(1) कोई व्यक्ति जो धारा 19 की उपरात (1) या धारा 20 के अधीन किसी अपाराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विकल रहेगा या जो धारा 19 की उपरात (2) के अधीन ऐसे अपाराध के अधिनियमित करने में विकल रहेगा, वह ऐसी अधिक के कानाकास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुनाने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से जात हो) का भारताधारक कोई व्यक्ति जो अपने वित्तनालय के संबंध में धारा 19 की उपरात (1) के अधीन किसी अपाराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विकल रहेगा, वह ऐसी अधिक के कानाकास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुनाने से दंडित किया जाएगा।

(3) उपरात (1) के उपर्युक्त इस अधिनियम के अधीन किसी बालक को लागू नहीं होंगे।

मिथ्यापरिवाद या मिथ्या सूचना के लिए देख।

(2) (1) कोई व्यक्ति जो धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किए गए किसी अपाराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्घापित करने या घमकाने या उसकी मानवानुकूलीन को एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उत्पत्ति कराएगा, वह ऐसे कानाकास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुनाने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जहाँ किसी बालक द्वारा मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उत्पत्ति कराई गई है, वहाँ ऐसे बालक पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(3) जो कोई बालक नहीं होते हुए, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या नाम से हुए उपरात्म कराएगा जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्तु अपाराध के लिए उत्पन्नित हो, वह ऐसे कानाकास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुनाने से दंडित किया जाएगा।

भीड़िया के लिए प्रक्रिया।

(2) (1) कोई व्यक्ति, किसी भी प्रकार के भीड़िया या स्ट्राइगों या फोटो विचार संबंधी सुधारात्मकों से, कोई पूर्ण या अधिप्रापणित सूचना रहे बिना, किसी बालक के संबंध में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई ऐसी टीका-टिप्पणी नहीं करेगा जिससे उसकी छापति या हलन या उत्तराने निजता का अंतिलक्षण होना प्रभावित होता है।

(2) किसी भीड़िया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित, परिवार के चीज़ी, विदालय, गढ़ोंग जा कोई ऐसी अन्य निलिखियाँ भी हैं, जिनमे बालक की पहचान का प्रकटन होता है, प्रकट नहीं करेगी।

परत्तु ऐसे कालों से जो अधिनियम के अधीन मामले का विचारण करने के लिए सक्षम विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन के लिए अनुज्ञात कर सकता था वह उसकी राय में ऐसा प्रकटन, बालक के हित में है।

(3) मीडिया या स्टूडियो या फोटो वित्रण संबंधी सुविधाओं का कोई प्रकाशक या स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से अपने कर्मचारी के कार्यों और लोगों के लिए दर्पणाधीन होगा।

(4) कोई व्यक्ति जो उपचारा (1) या उपचारा (2) के उपर्योग का उल्लंघन करेगा, किसी भीति के कारणालय से, जिसकी अधिक छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकती हो जुमने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय 6

बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया

24. (1) बालक के कथन को, बालक द्वारा निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या उसकी परंपरा के स्थान पर और यथास्थ, उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुरुषस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(2) बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।

(3) अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में न आए।

(4) किसी बालक को किसी भी कारण से रोत्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

(5) पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पन्दित भीड़िया से तब तक संरक्षित रखी है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो।

1974 का 2

25. (1) यदि बालक का कथन, रट्ट प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात संहिता कहा गया है) की घारा 164 के अधीन अभिलिखित किया जाता है तो उसमें अंतर्विट किसी बाल के होते हुए भी, ऐसे कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट, बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा:

परंतु संहिता की घारा 164 की उपचारा (1) के प्रथम पारंतुक में अंतर्विट उपचरण, जहां तक वह अभियुक्त के अधिकारियों की डिस्ट्रिक्ट अनुज्ञात करता है, उस मामले में सार्व नहीं होगा।

(2) मजिस्ट्रेट, उस संहिता की घारा 173 के अधीन पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट फाल किए जाने पर, बालक और उसके माला-पिता या उसके प्रतिनिधि को संहिता की घारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति, प्रदान करेगा।

26. (1) यथारिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक के माला-पिता या ऐसे किसी अन्य अधिकारी, जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा।

(2) जहां आवश्यक है, बाल, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, बालक का कथन अभिलिखित बरते सामग्री किसी अनुशासक या गोपनीय विवरण की मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रूप से सुपरिचित करते स्थिति में किसी विशेषज्ञ की, जो ऐसी अहतार्थ, अनुशव रखता हो और ऐसी भीस के संदर्भ पर जो विविहत की जाए, सहायता ले सकता।

(3) यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी बालक का कथन अभिलिखित करने के लिए मानसिक या सार्वार्थिक निःसंकल्पता बाले बालक के मामले में किसी विशेष शिक्षक या बालक से संपर्क की रूप से सुपरिचित करते स्थिति में किसी विशेषज्ञ की, जो ऐसी अहतार्थ, अनुशव रखता हो और ऐसी भीस के संदर्भ पर जो विविहत की जाए, की सहायता ले सकता।

(4) जहां संभव है, वहां, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन अव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी अभिलिखित किया जाए।

बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना।

मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन।

अभिलिखित किए जाने वाले कथन के संबंध में अतिरिक्त उपचरण।

बालक की चिकित्सीय परीक्षा।

27. (1) उस बालक की चिकित्सीय परीक्षा, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, उस बात के होते हुए भी कि उस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद रिजिस्ट्रीकूट नहीं किया गया है, दूँड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164क के अनुसार की जाएगी।

(2) यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा किसी महिला डाक्टर द्वारा की जाएगी।

(3) चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है।

(4) जहां उपराखा (3) में निर्दिष्ट बालक के माता-पिता या अन्य व्यक्ति, बालक की चिकित्सीय परीक्षा के दौरान किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकता है तो चिकित्सीय परीक्षा, चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी महिला की उपस्थिति में की जाएगी।

अध्यात्र 7

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों को अधिहित किया जाता।

28. (1) उत्तिर विचारण उपलब्ध करने के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालयों के प्रयोगस्थि से, उच्चप्रबन्धना द्वारा प्रत्येक जिला के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करते के लिए किसी सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए, अधिहित करेंगे;

प्रत्युत यदि किसी सेशन न्यायालय को, बालक अधिकार संस्थान आयोग अधिनियम, 2005 या तत्वाप्य प्रयुत किसी अन्य विधि के अधीन उन्हों प्रयोगजनों के लिए अधिहित किसी विशेष न्यायालय को, बालक न्यायालय के रूप में अधिसूचित कर दिया है, तो ऐसा न्यायालय इस पारा के अधीन विशेष न्यायालय समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का [उपराखा (1) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] विचारण भी करेगा जिसके साथ अधिकृत को दूँड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन गतिविधि विशेष न्यायालय को, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में किसी बात के होने हुए भी, उस अधिनियम की धारा 67क के अधीन अपराधों का, जहां तक वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को नियन्त्रित करने वाली लैंगिक प्रक्रिया सामग्री के प्रकालत या पारोपाय से संबंधित है, या बालकों का अन्य-लाईन दुरुपरिणय सुनुक बनाते हैं, विचारण करने की अधिकारिता होगी।

अपराधीय अपराधों के बारे में उपराखा।

29. जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुरुपरिणय करने या उसका किसी का प्रयत्न करने के लिए अधियोक्ता किया गया है वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपराखा कराया कि ऐसे व्यक्ति ने, यासिरित, यह अपराध किया है, दुरुपरिणय किया है या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरुद्ध सावित नहीं कर दिया जाता है।

अपराधीय नानासिक दशा की उपराखा।

30. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अधियोक्ता में, जो अधियक्ता की ओर से आपराधिक नानासिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी नानासिक दशा की उपराखा करेगा, किन्तु अधियक्ता के लिए यह तथ्य सावित करने से लिए, प्रतिरक्षा होंगी कि उस अधीनों में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी नानासिक दशा नहीं थी।

(2) इस पारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का सावित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभवता को प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण—इस पारा में “‘आपराधिक नानासिक दशा’” के अंतर्गत आशय, ऐतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है।

1974 का 2

2006 का 4

1974 का 2

2000 का 21

2000 का 21

1974 का 2

२

31. इस अधिनियम में अन्यथा उपर्युक्त की सिवाय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपर्युक्त (जगानन और बंधव विषयक उपर्युक्त राजित) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यसाहिती को लागू होने और उस उपर्युक्त के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेवन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अधियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी को, लोक अधियोजक समझा जाएगा।

विशेष न्यायालय के सम्पूर्ण कार्यसाहिती को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होता।
विशेष लोक अधियोजक।

32. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिदृच्छा द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपर्युक्त के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अधियोजक की, नियुक्ति करेगी।

(2) उपराय (1) के अधीन विशेष लोक अधियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पारा होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यु अधिवक्ता के लिए अधिविक्त के रूप में विशेष न्यायालय किया हो।

1974 का 2

१४

(3) इस भारा के अधीन विशेष लोक अधियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (प) के अधीनतांत्र एक लोक अधियोजक समझा जाएगा और उस राजित के उपर्युक्त तदनुसार प्रभावी होगी।

विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और राजित।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अधिलेखन

33. (1) कोई विशेष न्यायालय, अधियुक्त की विचारण के लिए उसको सुनुद्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध का गठन करने वाले तत्वों का परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तत्वों की पुस्तक रिपोर्ट पर, दो सकेगा।

(2) याचानिकार्त, विशेष लोक अधियोजक या अधियुक्त को लिए उपर्युक्त होने वाला काठंसेल बालक की मुख्य परिवार, प्रतिरोधी, या उन्-परीक्षा अधिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्नों को, विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा जो क्रम से दूसरे प्रश्नों को बालक के समक्ष रखेगा।

(3) विशेष न्यायालय, यदि वह आवश्यक समझे, विचारण के दौरान बालक के लिए बार-बार विद्यमान अनुदात कर सकेगा।

(4) विशेष न्यायालय, बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की, विशेष बालक का भरोसा और विस्वास है, न्यायालय में उपरिचित अनुदात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा।

(5) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को न्यायालय में राश्य देने के लिए बार-बार नहीं बुलाया जाए।

(6) विशेष न्यायालय, विचारण के दौरान आक्रमक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने के लिए अनुदात नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय बालक की गरिमा बनाए रखी जाए।

(7) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्येषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहलान प्रकट नहीं की जाए।

परंतु ऐसे कारणों से जो अधिलिखित किए जाएं, विशेष न्यायालय ऐसे प्रकटन की अनुदात दे सकेगा, यदि उसकी धारा में ऐसा प्रकटन बालक के हित में है।

स्पष्टीकरण — इस उपराय के प्रयोजनों के लिए, बालक की पहचान में, बालक के चुंबन, विद्यालय, नातेदार, पछोरसी जीवी पहचान या कोई अन्य सूचना जिसके द्वारा बालक की पहचान का पता चल सके सम्भवित होगे।

(8) समुचित मामलों में विशेष न्यायालय, दंड के अतिरिक्त, बालक को कार्रित किसी सार्विक या मानसिक आपात के लिए या ऐसे बालक के तुरंत पुनर्वास के लिए उसको ऐसे प्रतिकर के संदाय का निदेश दे सकेगा जो विहित किया जाए।

(9) इस अधिनियम के उपर्योग के अधीन रहते हुए विशेष न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेवन न्यायालय को सभी शक्तियां होंगी और ऐसे अपराध का विचारण ऐसे करेगा, मानो वह सेवन न्यायालय हो, और याचारालय सेवन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

1974 का 2

बालक द्वारा अपराध किए जाएं और विशेष न्यायालय का अधीन रहते हुए अपराध करने के मामले में प्रक्रिया।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी बालक द्वारा किया जाता है यह ऐसे बालक पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपर्योग के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

2000 का 56

(2) यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई में इस संबंध में कोई प्रत्येक उत्तराधिकारी नहीं तो ऐसे प्रक्षम का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्थिर का सामाधान करने के पश्चात् किया जाएगा और वह ऐसे अवधारण के लिए उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा।

(3) विशेष न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केरल पश्चात्पर्ति सूचूत के कारण अधिनियम नहीं राशिक जाएगा कि उपराध (2) के अधीन उसके द्वारा यथा अवधारित किसी व्यक्ति की आयु उस व्यक्ति की सही आयु नहीं थी।

बालक के साथ की अधिलिखित और मामले का नियमण करने के लिए अलग।

35. (1) बालक के साथ की विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा और विलंब के लिए काणा, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय द्वारा अधिलिखित किया जाएगे।

(2) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा।

साथ देने समव बालक का अधिकृत की न दिलगा।

36. (1) विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी प्रकार से साथ की अधिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए काणा, यदि कोई हो, विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकृत उस बालक का कथन सुनें और अपने अधिवक्ता के संपर्क में।

(2) उपराध (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, बालक का कथन घोषित कीजिए विवरण के माध्यम से या एकल दृश्य दर्पण या पट्टी या ऐसी ही अन्य युक्ति का उपयोग करके अधिलिखित कर देंगा।

विचारण का बंद करने में सहायता।

37. विशेष न्यायालय, मामलों का विचारण बंद करने में और बालक के माता-पिता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपलब्धि में करेगा, विसमें बालक का विश्वास या भरोसा है :

परंतु जहां विशेष न्यायालय की यह राय है कि बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी अन्य दस्तावेज पर लिए जाने की आवश्यकता है, यहां वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 284 के उपर्योगों के अनुसरण में कमीशन निकालने के लिए कार्रवाई करेगा।

1974 का 2

बालक का साथ अधिलिखित करने समव विवरण दुर्लभ, या विशेष योग्य सहायता देना।

38. (1) जब कठीन आवश्यक हो, न्यायालय बालक का साथ अधिलिखित करने समय किसी ऐसे अनुवादक या दुर्भाग्य, जो ऐसी अहार्ता हो, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदर्भ पर, जो विहित की जाए, को सहायता दे सकेगा।

(2) यदि बालक मानसिक या शरीरिक रूप से निःशब्द है तो विशेष न्यायालय, बालक का साथ अधिलिखित करने के लिए किसी विशेष विकास या बालक से संबंधित की रीति से सुनिश्चित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ, जो ऐसी अहार्ता हो, अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदर्भ पर जो विहित की जाए, की सहायता दे सकेगा।

अध्याय 9

प्रकोर्ण

1974 का 2

39. राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, गैर-सरकारी संगठनों, वृतिकां और विशेषज्ञों आ ऐसे अल्पिनियम के लिए पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्साय स्वास्थ्य, मानविकी स्वास्थ्य और बालक स्वास्थ्य में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहायीता करने के लिए मार्गान्विद्या तैयार करें।

विशेषज्ञ आदि की सहायता सेने के लिए बालक के लिए मार्गान्विद्या।

40. दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 301 के पर्युक्त के अधीन रहते हुए बालक का कुर्तब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन विशेष अपराध के लिए अपनी पराद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने के लिए हकदार होंगे;

विधिक काउंसेल की सहायता सेने का बालक का अधिकार।

पर्युक्त यदि बालक का कुर्तब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय बहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राप्तिकरण उत्तरों वकील उपराज्य कराएगा।

41. धारा 3 से धारा 13 (जिसमें दोनों समीक्षित है) तक के उपर्युक्त बालक की चिकित्साय परीक्षा या चिकित्साय उपचार की दशा में तब लाग जानी होंगे जब ऐसी चिकित्साय परीक्षा या चिकित्साय उपचार उसके माता-पिता या संरक्षक की सहायता से किए जा रहे हों।

कठियम माल्ही में धारा 3 से धारा 13 तक के उपर्युक्त बालक का लाग न होना।

42. जहाँ कोई कानून या लोप इस अधिनियम और तसम्यम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गालिय करता है—वहाँ तसम्यम प्रवृत्त किसी विधि में किसी जात के होते हुए भी, ऐसे अपराध के लिए दोनों माया या अपायी केवल उस दण्ड का भागी होगा जो ऐसी विधि या इस अधिनियम के अधीन माया में गुणतर हो।

अनुकूलिकरण दंड।

43. केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि—

अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता।

(क) साधारण जनता, बालकों के साथ ही उनके माता-पिता और संरक्षकों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति जागाएँ जानकारी लिए इस अधिनियम के उपबंधों का मीडिया, जिसमें अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी समीक्षित है, के माध्यम से नियमित अंतराली पर व्यापक प्रसार किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों (जिनके अन्तर्गत पुस्तक अधिकारी भी हैं) को अधिनियम के उपबंधों के कानून्यवयन से संबंधित विषयों पर व्यापक प्रश्नावली प्रदान किया जाता है।

अधिनियम के कियावल्य की बनीटी।

2006 का 4

44. (1) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग या धारा 17 के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित करने के अधिकार इस अधिनियम के उपबंधों के कियावल्य की मानीटी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, करें।

2006 का 4

(2) उपचारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले जी जाच करते समय वही शक्तियाँ होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन निहित की गई है।

2006 का 4

(3) उपचारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकालान्ती को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सूचीबद्ध करें।

2006 का 4

45. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेंगी।

नियम बनाने की कियावल्य की बनीटी।

(2) विधिपत्रिया और पूर्वानुमो शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिन ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी व्यवयों के लिए उपयोग कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (2) और उपधारा (3) जब वारा 38 के अधीन किसी अनुकूलक या दुष्प्राप्ति, किसी विशेष शिक्षक या बालक से संबंधित की रीति से सुरक्षित किसी व्यक्ति या उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ की अहंताओं और अनुभव तथा संदेश फीटी;

(ख) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन बालक की देखभाल और संरक्षण तथा आपात चिकित्सीय उपचार;

(ग) धारा 33 की उपधारा (8) के अधीन प्रतिकर का संदाय;

(घ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के उपबंधों की आवधिक मानीटी की रीति।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् याचारीप्र संसद् के प्रत्येक सदन के समल जब वह सभा में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अवधा दी या अधिक आनुकूलिक सत्रों में पूरी ही सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वीक आनुकूलिक सत्रों के लीक दाद के अवधान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई विवरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यह ऐसे विवरिति रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उस अवसर के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह नियमधार हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या नियमधार होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधियान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, यापन में प्रकाशित अद्वेष द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकती, जो इसे कठिनाईयों दूर करने के लिए अवश्यक या समीचेन प्रतीत हों और जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों;

परंतु कोई आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, याचारीप्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समल रखा जाएगा।

अनुसूची

[भाग 2(ग) देखिए]

निम्नलिखित के अधीन गठित सशस्त्र बल और सुरक्षा बल

(क) वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45);

(ख) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46);

(ग) असम राष्ट्रसंघ अधिनियम, 2006 (2006 का 47);

(घ) बंबई होमगार्ड अधिनियम, 1947 (1947 का 3);

(ङ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47);

(च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50);

(छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66);

(ज) तटरक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30);

- (ज) दिल्ली विशेष पुलिस स्पॉपन अधिनियम, 1946 (1946 का 25);
 (अ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35);
 (ट) गौरेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62);
 (ठ) गढ़वाल अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34);
 (ड) गढ़वाल सुरक्षक अधिनियम, 1986 (1986 का 47);
 (इ) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23);
 (ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53);
 (त) विशेष संख्या घृप अधिनियम, 1988 (1988 का 34);
 (थ) प्राणीश्वर सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56);
 (द) राज्य की सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक असाधित के दैवग दलों को नियोजित करने के लिए या अन्यथा जिनके अंतर्गत सशस्त्र बल (विशेष शब्दितबाही) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की घारा 2 के छंड (क) में दर्था परिभाषित सशस्त्र बल भी है, राज्य विधियों के अधीन गतिविधि राज्य पुलिस बल (जिनके अंतर्गत सशस्त्र कार्यालयी भी हैं)।

